महत्वपूर्ण / समयबद्ध

पत्र संख्या-एस0एस0-मु0स0समीक्षा व शासन निर्देश-2017-18/ 739 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक : 03/11/,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) व (कारपो0 सर्किल) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रदेश की छवि को एक प्रोग्रेसिव राज्य के रुप में स्थापित करने की दिशा में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निम्नवत् निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल कराये जाने की अपेक्षा मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा की गई है।

भारत सरकार से विभागीय समन्वय हेतु "प्रगति" का प्रयोग :

भारत सरकार द्वारा "प्रगति पोर्टल " तैयार किया गया है। ऐसे विभाग जिनकी परियोजनाएँ अथवा योजनाएँ भारत सरकार / अन्तर्राजीय स्तर पर विलम्बित हो रही हो वे प्रगति पोर्टल के माध्यम से इन्हें भारत सरकार तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक पंजीकरण :

जी0एस0टी0 के माध्यम से पूरे देश में **"एक देश, एक टैक्स"** की व्यवस्था लागू की गई है। वर्तमान प्राविधानों के अनुसार रु0 20.00 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारियों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों को टैक्स दिए जाने की बाध्यता है, लेकिन रु0 20.00 लाख से नीचे के टर्नओवर वाले व्यापारियों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी जी0एस0टी0एन0 के अन्तर्गत इनपुट क्रेडिट लाभ तभी प्राप्त हो सकता है, जब वे स्वयं का जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन करा लें। अत: जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यापारियों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जी0एस0टी0 के समुचित क्रियान्वयन एवं देय राजस्व को शत-प्रतिशत प्राप्त किये जाने व त्रुटिपूर्ण आई0टी0सी0 के सत्यापन हेतु अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित कराये। इस हेतु रु0 20 लाख से कम टर्नओवर के व्यापारियों को भी जी0एस0टी0 के लाभ से अवगत कराते हुए उनको पंजीयन की परिधि में लाया जाये तथा जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन का मुख्य अंश **कर विवरणी को दाखिल कराया जाना,** जिसमें माह जुलाई-17 व अग्रेतर माहों के जी0एस0टी0आर0-3बी, जी0एस0टी0आर0-1 व 2 शामिल है, को शत-प्रतिशत दाखिल कराये जाने का हरसम्भव प्रयास किया जाये।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-4, को शासन के पत्र संख्या-क0नि0-4-1071/11-2017-300(31)/17, दि0 27-10-17 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।